न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी: मदन सिंह चौधरी, आर.जे.एस

निर्णय दिनांक	**-**	**31.07.2026**
फौज. मूल प्र.सं.	**-**	**544/2018**
सी.आई.एस नंबर	**-**	**544/2018**
सी.एन.आर. नंबर	**-**	**RJJL060011812018**
प्रथम सूचना रि. सं.	**-**	**37/2018**
अंतर्गत धारा	**-**	**332, 353 भारतीय दंड संहिता**
पुलिस थाना	**-**	**रामसीन**

अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी, भीनमाल।

उपस्थितः-

श्रीमान अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।

ब ना म

अभियुक्तः-

01. भगाराम उर्फ भगराज पुत्र श्री चैनाराम, निवासी मोरसीम, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर।

उपस्थितः-

01. श्रीमान नंदपाल सिंह देवड़ा- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	14.03.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	15.03.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	18.08.2018

आरोप विरचित किए जाने की तिथि	10.12.2018
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	03.07.2019
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	31.07.2026
निर्णय की तिथि	31.07.2026

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	विपालसिंह	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 2	धर्मेंद्र	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 3	माणकचंद	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 4	होजाराम	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 5	भवानीसिंह	औपचारिक गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 6	सुरेश कुमार	चश्मदीद गवाह व घटनास्थल मौतबीर (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्यू 7	कल्पेश कुमार	ताईद एफआईआर
पीडब्ल्यू 8	प्रकाश	चश्मदीद गवाह (पक्षद्रोही)
पीडब्ल्रयू 9	अर्जुनसिंह	मौका मौतबीर गवाह
पीडब्ल्यू 10	विरधाराम	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 11	मायंगाराम	गिरफतारी गवाह
पीडब्ल्यू 12	नारायणलाल	औपचारिक गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

क. अभियोजन

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	लिखित प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी.7
2.	फर्द नक्शा मौका	प्रदर्श पी.8

3.	पदस्थापन्न आदेश	प्रदर्श पी.09
4.	पदस्थापन्न आदेश	प्रदर्श पी.10
5.	कार्यभार हस्तांतरण आदेश	प्रदर्श पी.11
6.	नियुक्ति आदेश	प्रदर्श पी.12
7.	कार्यभार हस्तांतरण आदेश	प्रदर्श पी.13
8.	ई रजिस्ट्रेशन फी रिसीप्ट	प्रदर्श पी.14
9.	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का पंजीयन हेतु विवरण पत्र	प्रदर्श पी.15
10.	उप पंजीयन के समक्ष भरे जाने के लिए पत्र	प्रदर्श पी.16
11.	निवार्चन आयोग पहचान पत्र विपालसिंह	प्रदर्श पी.17
12.	आधार कार्ड की प्रति माणकचंद	प्रदर्श पी.18
13.	आवासीय भूमि का पटटे संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी.19
14.	पटटा विलेख पंजीयन	प्रदर्श पी.20
15.	उपस्थिति पंजीका	प्रदर्श पी.21
16.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी.23
17.	फर्द गिरफतारी भगाराम	प्रदर्श पी.24

ख. बचाव

क्रम सं.	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1.	पुलिस बयान कल्पेश कुमार	प्रदर्श डी.1
2.	पुलिस बयान विपालसिंह	प्रदर्श डी.1
3.	प्रार्थना पत्र (सूचना चाहने के लिए आवेदन)	प्रदर्श डी.2
4.	पुलिस बयान धर्मेंद	प्रदर्श डी.2
5.	पुलिस बयान माणकचंद	प्रदर्श डी.3
6.	कार्यवाही पुलिस	प्रदर्श डी.4
7.	पुलिस बयान होजाराम	प्रदर्श डी.4
8.	समाचार पत्र की प्रति	प्रदर्श डी.5
9.	पुलिस बयान भवानीसिंह	प्रदर्श डी.5
10.	पुलिस बयान सुरेश कुमार	प्रदर्श डी.6
11.	पुलिस बयान श्री प्रकाश	प्रदर्श डी.22

- निर्णय -

दिनांक 31.07.2026

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.03.2018 को वक्त 12.35 पीएम पर प्रार्थी श्री कल्पेश कुमार पुत्र श्री गणपतलाल निवासी जसौल पुलिस थाना बालोतरा तत्कालीन नायब तहसीलदार उपतहसील रामसीन ने उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि-

> **"भगाराम देवासी जो स्टाम्प बेचने का कार्य करता है जो कि निरन्तर उप तहसील कार्यालय में एवं मेरे कक्ष में आकर मेरे साथ अभद्रता, गाली गलोच करता है साथ ही राजकीय कर्तव्य निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। पूर्व में इसे अनाधिकृत रूप से प्रलेख लेखन का काम करने एवं कार्यालय में अभद्रता एवं गाली गलोच एवं हाथापाई करने पर दिनांक 26.12.2017 को पुनः अपनी हरकतों से बाज नहीं आने पर 02.01.2018 को मैंने लिखित रिपोर्ट रामसीन थाने में दी। फिर भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होने से इस पर कोई असर नहीं पडा। आज दिनांक 14.03.2018 को मैं अपने कार्यालय कक्ष में बैठा था तो दोपहर 1.30-2.00 बजे के बीच यह विपालसिंह पुत्र शेरसिंह निवासी पुनककला एवं माणकचंद पुत्र रामलाल जैन निवासी पूनककला के साथ आया एवं मेरे कक्ष में मेरे कुर्सी के पास आकर गाली गलोच की एवं हाथापाई करने लगा कि मेरे डोकोमेंट क्यों नहीं लेते हो, मैंने समझाया कि आपका कार्य स्टाम्प बैचने का है एवं रजिस्ट्री लिखने एवं पेश कराने का नहीं है तो कहने लगा कि मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। मेरे डोकोमेंट करने पड़ेगें नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। मैं किसी का नहीं हू, ना मेरे कोई आगे-पीछे है, मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। मेरे पुलिस विभाग में सेटिंग है, तूने रिपोर्ट लिखवाई तो भी कार्यवाही नहीं हुई मेरा पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे तैसे करके मैंने अपने आपको छुड़वाया। भगाराम मेरे कमरे से बाहर आ गया तब मैंने अपनी जैब से मोबाईल निकालकर वीडियो बनाने लगा तो यह वहां से इन दोनों को जो बाहर खड़े थे साथ में लेकर भाग गया। इससे पूर्व भी यह निरन्तर स्टाफ से मोबाइल पर फोन करके मेरी लोकेशन पूछता है कि नायब तहसीलदार कहां है इनको तो सबक सीखाना, नौकरी करना भूलाना है। ये कहता फिरता है यहां सभी लोकल नेता मेरे पक्ष में है तो पुलिस मेरे हाथ भी नहीं लगा सकती। वर्तमान उपतहसील**

कार्यालय एकांत में आम बस्ती से दूर है। आज कार्यालय के रीडर सी.एल. पर थे एवं ए.ओ.के भी डेपुटेशन पर जसवन्तपुरा तहसील थे। अतः कार्यालय में कभी भगाराम घात लगाकर जानलेवा हमला करवा सकता है एवं शारीरिक चोट पहुंचा सकता है। साथ ही रोज-रोज कार्यालय में इसके दुर्व्यवहार से तंग आ गया हूं और कार्यालय की प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचती है। यह व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का एवं आदतन नशेड़ी है इसके विरुद्ध बागोड़ा थाने में एफआईआर नंबर 113/2015 आईपीसी 498 ए एवं आईपीसी 323 में यह व्यक्ति मुख्य आरोपी है। इसके विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न होने पर मेरे जान-माल को कोई नुकसान पहुंचता है तो समस्त जिम्मेदारी आपके विभाग की होगी। मेरी रिपोर्ट के ढाई माह बाद भी कोई कार्यवाही न होने से इसके हौसले दिन-दिन बुलंद हो रहे हैं। रिपोर्ट कार्यालय से कार्य निपटाकर सायं 7 बजे प्रस्तुत कर रहा हूं।"

02. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रामसीन द्वारा अभियोग संख्या 37/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 भादसं. में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त भगाराम के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 भादसं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 353 भादसं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त भगाराम उर्फ भगराज को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 भादसं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान तहत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

04. बहस अंतिम विद्वान उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. आया अभियुक्त भगाराम ने दिनांक 14-03-2018 को दोपहर करीब 01.-1.30 के मध्य उप तहसील रामसीन

के कार्यालय में परिवादी कल्पेश कुमार को उप–तहसीलदार की हैसियत से लोक सेवक होना जानते हुए उसको लोक सेवक के नाते कर्तव्य निर्वहन से भयोपरांत करने के लिए स्वेच्छया उपहतियां कारित की व भयोपंरात करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया गया?

02. यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

अवधार्य बिन्दु का विनिश्चिय:-

05. अभियोजन के विरुद्ध में व अभियुक्त के पक्ष में किया जाता हैं।

विनिश्चिय के कारण:-

06. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद प्रदर्श पी7 कल्पेश कुमार तत्कालीन उपतहसीलदार रामसीन द्वारा अभियुक्त भगाराम देवासी के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया कि-

> **"भगाराम देवासी उपतहसील कार्यालय में स्टांप विक्रेता का कार्य करता है जो कि सामान्यतः उपतहसील कार्यालय में आकर अभद्रता एवं गाली-गलोच करता है तथा राजकीय कर्तव्य के निवर्हन में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रकार के कृत्यों के विरुद्ध दिनांक 26.12.2017 एवं 02.01.2018 को परिवाद द्वारा पुलिस थाना रामसीन में लिखित रिपोर्ट दी गयी थी, लेकिन इन रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 14.03.2018 को परिवादी जब अपने कार्यालय में बैठा था तब दोपहर के लगभग डेढ बजे से दो बजे के बीच अभियुक्त भगाराम देवासी, विपालसिंह एवं माणकचंद के साथ आया तथा उसकी कुर्सी के पास आकर गाली-गलौच एवं हाथापाई करने लगा। अभियुक्त का कहना था कि उसकी तरफ से पेश रजिस्ट्री क्यों नहीं की जा रही है जबकि उसको बता दिया था कि वह स्टांप विक्रेता है तथा उसके द्वारा रजिस्ट्री लिखने एवं पेश करने का काम नहीं किया जा सकता है। तब उसने कहा कि अगर तुम मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा तथा सबक सिखा दूंगा। पुलिस विभाग में मेरी सेटिंग है इसी कारण से तेरे द्वारा लिखवाई गई पूर्व रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता**

है। जैसे तैसे करके भगाराम को कार्यालय से बाहर किया गया तथा उसके कृत्यों का वीडियो बनाने का प्रयास परिवादी द्वारा किया गया तो वह वहां से भाग गया। वह निरंतर स्टाफ से परिवादी की लोकेशन का पता करता रहता है तथा कहता रहता है कि वह कहां पर है उसको सबक सिखाना है। घटना के रोज कार्यालय के रीडर, एओके कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। अभियुक्त आदतन आपराधिक प्रवृत्ति का नशेड़ी व्यक्ति है जिससे परिवादी को लगातार खतरा बना हुआ है वह उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की घटना कर सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना बागोड़ा में एफआईआर संख्या 113/2015 का आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है।"

परिवादी द्वारा यह परिवाद दिनांक 15.03.2018 को पेश किया गया जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

07. अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के क्रम में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 8 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पेश किया गया है जिसमें उपतहसील कार्यालय रामसीन के अंदर घटनास्थल को दर्शाया गया है। घटनास्थल पर घटना से संबंधित कोई आलामात नजर नहीं आए हैं। प्रदर्श पी9 परिवादी के जसवंतपुरा तहसीलदार के रूप में पदस्थापन का आदेश है, वहीं पर प्रदर्श पी10 परिवादी के रामसीन नायब तहसीलदार के रूप में पदस्थापन का आदेश है। प्रदर्श 11 नायब तहसीलदार जसवंतपुरा का कार्यभार ग्रहण करने का आदेश है। प्रदर्श पी12 परिवादी का नियुक्ति आदेश है। प्रदर्श पी 13 परिवादी का कार्यभार हस्तांतरण आदेश है। प्रदर्श पी14 लगायत 20 में माणकचंद द्वारा रजिस्ट्री हेतु पेश दस्तावेजात है। प्रदर्श पी21 दिनांक 14.03.2018 की परिवादी की उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप उपस्थिति रजिस्टर की प्रति है। पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 23 व फर्द गिरफतारी भगाराम प्रदर्श पी 24 है।

08. अभियोजन साक्ष्य के क्रम में पेश गवाहान में गवाह पीडब्ल्यू 1 विपालसिंह है। गौरतलब है कि परिवाद में परिवादी द्वारा विपालसिंह का नाम सहअभियुक्त के रूप में उल्लेखित किया गया है, लेकिन अनुसंधानकर्ता द्वारा उसे गवाह बना दिया गया है। यह गवाह पक्षद्रोही रहा है तथा उसके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार के कथन नहीं किये गये हैं। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 2 धमेंद्र कुमार है जो कि तत्कालीन समय पर एलडीसी के पद पर उपपंजीयन कार्यालय रामसीन में पदस्थापित रहे हैं, यह गवाह भी पक्षद्रोही रहा है। इसी क्रम में गवाह पीडब्ल्यू 3 जिसके नाम का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में सहअभियुक्त के रूप में है पक्षद्रोही रहा है। गवाह पीडब्ल्यू 4 होजाराम है जो कि तत्कालीन पटवारी रामसीन है भी पक्षद्रोही रहे हैं। गवाह पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 6 और पीडब्ल्यू 8 भी पक्षद्रोही रहे हैं।

09. गवाह पीडब्ल्यू 07 स्वयं परिवादी है, जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"आज से करीब 5 वर्ष पहले मैं रामसीन उप तहसील में उप-तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। उस समय मेरे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज नहीं था। मेरे साथ भगाराम देवासी जो स्टाम्प बेचने का काम करता था जो उप-तहसील कार्यालय में आकर मेरे साथ गाली-गलोच करना, राजकार्य में बाधा डालना व हाथापाई करना ऐसी घटनाएं लगातार चार-पांच बार की जिस कारण मैंने इससे व्यथित होकर रामसीन थाना में दिनांक 26.12.2017 को लिखित में थानाधिकारी को लिखित रिपोर्ट दी। इसके बाद पुनः एक सप्ताह बाद मेरे चैम्बर में आकर भगाराम ने गाली-गलोच व हाथापाई करने पर 02.01.2018 को भगाराम के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु थानाधिकारी रामसीन को लिखित में शिकायत दी। मेरी इन दोनों शिकायतों पर थानाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए द.प्र.सं. 116 के अन्तर्गत पाबंद किया गया कि भविष्य में उप-तहसील कार्यालय में जाकर नायब तहसीलदार के साथ दुव्र्यवहार नहीं करे। लेकिन भगाराम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पुनः दिनांक 14.03.2018 को विपालसिंह पुत्र शेरसिंह निवासी पुनककल्ला एवं माणकचंद जैन निवासी पुनककल्ला के साथ मेरे चैम्बर में आया और गाली-गलोच व हाथापाई की। मैंने उसे समझाया कि आपका काम स्टाम्प बेचने का है। रजिस्ट्री पेश करने का नहीं है। तब भगाराम ने कहा कि मुझे कौन रोक सकता है। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा और तुम्हारी शिकायते करके यहां से हटवा दूंगा। इसके बाद मैंने लिखित में उसी दिन पुलिस थाना रामसीन में थानाधिकारी के समक्ष पेश होकर पूरा घटनाक्रम लिखित में पेश कर उचित कानूनी कार्यवाही के लिए निवेदन किया। इससे पूर्व भी कई बार समझाईश करने पर भी भगाराम अपनी आदतों से बाज नहीं आया और निरंतर कार्यालय में झगड़ा करने, गाली-गलोच करने और लोगों से अवैध वसूली करने के कार्य करता रहा। इसके अलावा मैंने सम्पूर्ण दस्तावेज व बयान अपने जांच अधिकारी को दे दिए थे। मैंने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 थाने में दी थी जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने मौका देखा था**

व नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 बनाया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे ड्यूटी व पदस्थापन व चार्ज आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी 9 लगायत प्रदर्श पी 21 है जिन सभी पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।"

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि दिनांक 14.03.2018 से पहले उसके द्वारा पुलिस थाना रामसीन में शिकायत पेश किये जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है। दिनांक 14.03.2018 से पहले भी अभियुक्त द्वारा उसके कार्यालय में गाली-गलौच करने की बात का उल्लेख प्रदर्श पी 7 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में क्यों नहीं है, उसे नहीं पता। गवाह स्वीकार करता है कि पर्याप्त रूप से स्टांप डयूटी अदा करने पर खरीदने एवं बेचने वाले पक्षकारों के मौजूद होने पर इस प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन उनके द्वारा किया जाता है। दिनांक 14.03.2018 को भगाराम द्वारा पेश उक्त रजिस्ट्री की संबंधित लिपिक से रिपोर्ट मांगी थी संबंधित लिपिक द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गयी थी। उसे याद नहीं कि संबंधित लिपिक ने अपनी रिपोर्ट में क्या कमी अंकित की थी। संबंधित लिपिक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित की गयी कमी की पूर्ति कराकर रजिस्ट्री करा दी गयी थी। गवाह स्वीकार करता है कि डॉक्यूमेंट राइटर दस्तावेज पेश नहीं कर सकता है ऐसा कोई सर्क्लूयर उसकी जानकारी में नहीं है लेकिन ऐसा नियम जरूर है। इस रजिस्ट्री से पूर्व भगाराम ने कोई रजिस्ट्री उसके समक्ष पेश नहीं की थी। दिनांक 14.03.2018 को उसके कार्यालय में उसके अलावा एलडीसी धर्मेंद गर्ग था तथा बाकी स्टाफ मौजूद नहीं था। धर्मेंद्र गर्ग के अलावा सुरेश कुमार पुरोहित एवं 3-4 अन्य लोग उपस्थित थे। वह स्वीकार करता है कि विपालसिंह एवं माणकचंद उसके कार्यालय में उपस्थित थे। उसके अलावा सुरेश कुमार पुरोहित भी उपस्थित था एवं तीन-चार अन्य व्यक्ति मौजूद थे जो रामसीन में पानी की समस्या के संबंध में ज्ञापन देने आए थे लेकिन उन सभी का ब्यौरा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी7 की इबारत सी से डी किस आधार पर लिखाई उसे पता नहीं है। गौरतलब है कि सी से डी भाग में अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 113/2015 का उल्लेख किया गया है। गवाह स्वीकार करता है कि भगाराम ने पत्रावली की छीना-झपटी की थी लेकिन इस बात का उल्लेख प्रदर्श पी7 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि एफआईआर संख्या 113/2015 में कहीं भी मुलजिम का नाम नहीं है, न ही उससे संबंधित कोई तथ्य उल्लेखित है। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी7 का सी से डी भाग उसने गलत लिखाया था। गवाह स्वीकार करता है कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी के विरुद्ध रिश्वत लेने के संदेह के आधार पर उस पर भी दर्ज हुआ था जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। गवाह स्वीकार करता है कि प्रकरण संख्या 102/2021 थाना एसीबी जयपुर उसके विरुद्ध दर्ज है तथा उसमें उसके विरुद्ध आरोप प्रमाणित माना गया है। गवाह स्वीकार करता है कि वर्तमान में वह एसीबी वाले प्रकरण में सस्पेंड चल रहा है तथा उसके विरुद्ध पिण्डवाड़ा थाने में अपराध अंतर्गत धारा 477, 204, 201 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण संख्या 107 भी दर्ज है। गवाह स्वीकार करता है कि उसी ने पुलिस को मौका निरीक्षण करवाया था। मौका निरीक्षण के दौरान पुलिस को पेपर बिखरे हुए बताए थे, फटे हुए नहीं बताए थे। उसका मेडिकल नहीं करवाया गया था क्योंकि उसके कोई जाहिरा चोट नहीं आई थी।

10. पीडब्ल्यू 09 अर्जुनसिंह है। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **''मैं कल्पेश कुमार को जानता हूं, जो वर्ष 2018 में रामसीन में उपतहसीलदार के पद पर थे। पुलिस उपतहसील में आयी थी। कलपेश व भगाराम के विवाद बाबत आयी थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।''**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता है कि वह परिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी था। प्रदर्श पी 8 पुलिस थाना रामसीन में बनाया था और वहीं उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने थाने में प्रदर्श पी 8 में क्या लिखा हुआ था ना ही उसे सुनाया ना ही उसे समझाया केवल हस्ताक्षर करने को कहा जो कर दिए। प्रदर्श पी 08 क्या दस्तावेज है उसे पता नहीं है। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 8 पर हस्ताक्षर कल्पेशजी ने थाने साथ चलकर करवाये थे।

11. गवाह पीडब्ल्यू 10 अनुसंधानकर्ता विरधाराम है। गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **''दिनांक 15.03.2018 को मैं पुलिस थाना रामसीन में एएसआई के पद पर कार्यरत था, उस रोज एक लिखित रिपोर्ट प्रार्थी कल्पेश ने थाना प्रभारी श्री पोकराराम के समक्ष पेश की थी, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर सी से डी व ई से एफ थानाप्रभारी श्री पोकराराम का कायमी मुकदमा व पुलिस कार्यवाही पृष्ठांकन है, जी से एच थाना प्रभारी श्री पोकराराम के हस्ताक्षर है। थानाप्रभारी ने उक्त प्रकरण सीआर नंबर 37/2018 पर दर्ज किया, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-23 है, जिस पर ए से बी थाना प्रभारी श्री पोकराराम के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर मैं उनके अधीनस्थ होने से पहचानता हूं। उक्त प्रकरण थाना प्रभारी ने वास्ते अनुसंधान मेरे हवाले किया। मैंने दौराने अनुसंधान रूबरू मौतबीरान प्रार्थी की निशानदेही से घटनास्थल का मौका देखा। नक्शा मौका प्रदर्श पी-8 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी के, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मैंने गवाहान कल्पेश कुमार, धर्मेंद्र, माणकचंद, सुरेश कुमार, विपालसिंह, प्रकाश, कोजाराम, भवानीसिंह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट जालोर के आदेश की प्रमाणित प्रति 23.11.2016, जिला कार्यालय जालोर के आदेश दिनांक की प्रमाणित प्रति 22.09.2017, व तहसीलदार जसवंतपुरा कार्यभार**

हस्तांतरण आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-11 राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण अनुसंधान अजमेर द्वारा दिनांक 22.11.2016 को जारी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-12, तहसीलदार जसवंतपुरा कार्यभार हस्तांतरण आदेश दिनांक 25.09.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-13, ई-रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट प्रदर्श पी-14, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-15, उप पंजीयक के समक्ष भरे जाने के लिए भाग बी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-16, निर्वाचन पहचान पत्र विपालसिंह प्रदर्श पी-17, माणिकचंद का आधार कार्ड प्रदर्श पी-18, आवासीय भूमि ग्राम पंचायत पूनक कलां के द्वारा जारी पट्टा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-19, ग्राम पंचायत पुनक कलां द्वारा जारी पट्टा विलेख पंजीयन प्रदर्श पी-20 उप तहसीलदार रामसीन उपस्थिति पंजिका रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-21 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए। दिनांक 03.08.2018 को मैंने मुलजिम भगराज को जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-24 के रूबरू मौतबीरान गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी व ई से एफ मौतबीरान के तथा जी से एच मुलजिम भगराज के हस्ताक्षर है। मैंने पत्रावली पर आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त भगराज के विरूद्ध धारा अपराध 353 भा.द.सं. का प्रमाणित माना था। दौराने अनुसंधान उक्त पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मैंने थानाधिकारी को सुपुर्द की थी।''

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करते हैं कि प्रदर्श पी7 के आई से जे भाग में रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख में कांट-छांट है जो कि दिनांक 13.03.2018 की जगह 15.03.2018 किया गया है। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि रिपोर्ट दर्ज करने के बाद परिवादी के हस्ताक्षर बेक डेट में 14.03.2018 में करवाए गए। गवाह स्वीकार करता है कि कल्पेश कुमार के हस्ताक्षर ए से बी दो जगह के से एल एवं एम से एन दिनांक 14.03.2018 को ही थाने में करवाए थे। गवाह इसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर करता है कि कल्पेश कुमार द्वारा दिनांक 26.12.2017 एवं 02.01.2018 को भी अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत दी गयी हो, न ही ऐसी रिपोर्ट दौराने अनुसंधान उसके समक्ष पेश की गयी है। कल्पेश कुमार के बयान दिनांक 15.03.2018 को पुलिस थाने में लिये गये थे। रिपोर्ट पेश होने के तीन-चार दिन बाद उपतहसील कार्यालय में उसके बयान नहीं लिये थे। गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी7 के ओ से पी भाग में केवल गाली गलोच करने का ही लिखा है मारपीट करने की बात नहीं लिखी है। रिपोर्ट में कार्यालय में उपस्थित स्टाफ का कोई ब्यौरा नहीं है। गवाह धर्मेंद्र के बयान बतौर प्रदर्श पी2 उसके द्वारा दर्ज किये गये जिसमें उसके द्वारा नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की करने की बात नहीं सुने जाने के

अभिकथन किये गये हैं। प्रदर्श डी-1 के ए से बी भाग में केवल विपालसिंह और माणकचंद द्वारा कक्ष में आकर कुर्सी के पास आकर गाली गलौच व हाथापाई की बात दर्ज है। परिवादी द्वारा उल्लेखित वीडियो दौराने अनुसंधान उसके द्वारा पेश नहीं की गयी है। प्रदर्श पी7 में विपालसिंह एवं माणकचंद को मुलजिम बताया गया है लेकिन अनुसंधानकर्ता द्वारा उन्हें गवाह बनाकर जांच किया जाना स्वीकार किया है तथा उसका कोई कारण नहीं सुझाया है। गवाह स्वीकार करता है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी7 एवं पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 में घटना के समय सुरेश कुमार व अन्य तीन-चार लोग उस समय नायब तहसीलदार के पास उपस्थित थे उसे नहीं बताया गया था। परिवादी द्वारा मुलजिम भगाराम के विरुद्ध पुलिस थाना बागौड़ा में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की शिकायत के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं न ही उनके द्वारा इस बाबत कोई जांच की गयी है।

12. गवाह पीडब्ल्यू 12 नारायणलाल है जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय के अभिकथन किये गये हैं कि-

> **"मैं दिनांक 24.05.2018 को तहसीलदार के पद पर जसवंतपुरा में तैनात था। उस रोज एसडीएम साहब भीनमाल द्वारा मुझे वाटसअप पर मैसेज भेजा कि उक्त तहसील रामसीन के नायब तहसीलदार के विरूद्ध मेरे पास मैसेज प्राप्त हुआ है, आप मौके पर जाकर सही जांच कर मुझे अवगत करवाये। जिस पर मैं, उप तहसील कार्यालय रामसीन गया था। उस रोज मैंने भगाराम को फोन कर बुलाया था। मैनें जांच की तो भगाराम द्वारा रजिस्टरी करवाने को लेकर बोलचाल होना बताया गया लेकिन कोई मारपीट होना या राजकार्य में बाधा डालना के तथ्य सही नहीं माना। मैंने उक्त नायब तहसीलदार कल्पेश जी से पुछा तो उन्होने बताया कि मेरे पास विपुलसिंह पुनककला, माणकचंद पुनककला पट्टा पर्जीयन करवाने आए थे जिनको मैंने औपचारिताएं पुरी करने पर पट्टा पंजीयन करने का कहा था। मेरे सामने भगाराम व नायब तहसीलदार के बीच कोई बात नहीं हुई थी। नायब तहसीलदार के विरूद्ध शिकायत भगाराम द्वारा मैसेज के द्वारा की गई थी, व एसडीएम साहब के कहने से मैं जांच के लिए आया था।"**

दौराने जिरह गवाह स्वीकार करता हैं कि उसके सामने कोई बोलचाल नहीं हुई न ही उसकी जांच में भगाराम द्वारा किसी प्रकार से राजकार्य में बाधा करना व गाली गलोच करना सही पाया गया है। उक्त विवाद केवल रजिस्ट्री को लेकर था। उसे किसी भी कर्मचारी, स्टॉम्प-वेन्टर, डॉक्यूमेंट राईटर ने यह नहीं बताया कि मुलजिम भगाराम द्वारा किसी प्रकार से राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई हो या गाली गलोच की गयी हो। गवाह यह

भी स्वीकार करता है उनकी जांच में यह भी आया कि नायब तहसीलदार कल्पेश कुमार अत्यधिक गुस्सेल व आक्रोशित स्वभाव के व्यक्ति हैं।

13. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहान मय चश्मदीद गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं। परिवादी कल्पेश कुमार के कार्यालय में नियुक्त धर्मेंद्र गर्ग जो कि बरवक्त तथाकथित घटना कार्यालय में उपस्थित था के द्वारा भी घटना की पुष्टि नहीं की गयी है। गवाह पीडब्ल्यू 12 जो कि तहसीलदार है, जिनके द्वारा घटना की विभागीय जांच की गयी है, के द्वारा भी अपनी जांच में घटना की पुष्टि होना नहीं माना गया है। विपालसिंह एवं माणकचंद के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध प्रमाणित नहीं माना गया है तथा उनके द्वारा बतौर गवाहान अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं दी गयी है। सुरेश कुमार द्वारा भी अभियोजन की कहानी की कोई पुष्टि नहीं की गयी है तथा वह भी पक्षद्रोही रहे हैं। स्वयं परिवादी के अभिकथनों में यह स्वीकृत रूप से स्थापित हो चुका है कि उसके द्वारा अनेक असत्य अभिकथन अपने परिवाद में किये गये हैं। परिवादी द्वारा घटना की वीडियो का उल्लेख किये जाने के बावजूद ऐसा कोई वीडियो अनुसंधानकर्ता के समक्ष पेश नहीं किया गया है। घटनास्थल से घटना से संबंधित कोई आलामात नहीं मिले हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2017 एवं 02.01.2018 को शिकायत पेश किये जाने के तथ्य भी प्रमाणित नहीं है। गौरतलब है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 26.12.2017 एवं 02.01.2018 की शिकायतों के प्रमाण एवं घटना का वीडियो परिवादी द्वारा पेश किये जा सकते थे लेकिन उसके द्वारा प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं, न ही उसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण सुझाया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त भगाराम के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के असत्य अभिकथन भी अपने परिवाद में किये गये हैं। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा पेश परिवाद अत्यंत अविश्वसनीय एवं काल्पनिक प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 332, 353 भारतीय दंड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाने पर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आदेश-

14. परिणामस्वरूप अभियुक्त भगाराम उर्फ भगराज पुत्र श्री चेनाराम, निवासी मोरसीम, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 332, 353 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। इसके साथ ही धारा 437 ए के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पांच हजार रूपये की

जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय में पेश कर तस्दीक कराने के आदेश दिये जाते है।

MADAN SINGH CHOUDHARY
Digitally signed by MADAN SINGH CHOUDHARY
Date: 2026.08.03 15:41:55 +0530

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)

15. निर्णय आज दिनांक 31.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

MADAN SINGH CHOUDHARY
Digitally signed by MADAN SINGH CHOUDHARY
Date: 2026.08.03 15:42:04 +0530

(मदनसिंह चौधरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीनमाल, जालोर (राज.)